

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 1526 / 2011

संस्थापन दिनांक 30.12.2011

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—रामनिवास पुत्र विद्याराम त्यागी उम्र 45 वर्ष, निवासी
ग्राम पचैरा थाना मेहगांव जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भा.द.स. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 15.08.11 को 08:45 बजे विश्रामगृह मौ के पास मौ-मेहगांव आम रोड पर थाना मौ जिला भिण्ड पर मिनी बस 709 क्रमांक एम0पी0-30-पी.0470 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा देवेन्द्र, अनिल अ0सा03, प्रहलाद अ0सा04 को उक्त वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण परिचालन कर उपहति कारित की तथा शैलेन्द्र अ0सा01 व राजेशबेटी अ0सा02 को उक्त वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण परिचालन कर घोर उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.08.11 को फरियादी देवेन्द्र अपनी पत्नी अर्चना, शैलेन्द्र अ0सा01, राजेश अ0सा02, प्रहलाद अ0सा04 के साथ इण्डिका कार क्रमांक यू0पी0-78-बी.एक्स.3982 से राजस्थान जा रहे थे। अनिल अ0सा03 कार चला रहा था तब मौ स्थित विश्राम गृह के पास मेहगांव की ओर से मिनी बस क्रमांक एम0पी0-30-पी.0470 को आरोपी तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और इण्डिका कार में टक्कर मार दी जिससे देवेन्द्र, शैलेन्द्र अ0सा01, राजेश अ0सा02, अनिल अ0सा03, प्रहलाद अ0सा04 को चोटें आईं बस चालक बस को भगाकर ले गया। तदोपरांत रघुवीर और शिववीर ने उन्हें कार से निकाला और पुलिस थाने में सूचना दी। तत्पश्चात फरियादी देवेन्द्रसिंह

गुर्जर ने थाना मौ में देहाती नालिसी दर्ज कराई जिस पर से आरोपी के विरुद्ध अप0क0 159/11 प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-

1-क्या आरोपी ने दिनांक 15.08.11 को 08:45 बजे विश्रामगृह मौ के पास मौ-मेहगांव आम रोड पर थाना मौ जिला भिण्ड पर मिनी बस 709 क्रमांक एम0पी0-30-पी.0470 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

2-क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर देवेन्द्र, अनिल अ0सा03, प्रहलाद अ0सा04 को उक्त वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण परिचालन कर उपहति कारित की ?

3-क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर शैलेन्द्र अ0सा01 व राजेशबेटी अ0सा02 को उक्त वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण परिचालन कर घोर उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का सकारण निष्कर्ष //

5. शैलेन्द्र अ0सा01 ने कथन किया है कि 15.08.11 को प्रातः साढेसात आठ बजे वह, राजेशबेटी अ0सा02, प्रहलाद अ0सा04, देवेन्द्र व उसकी पत्नी इण्डिका गाड़ी से जा रहे थे तब मौ में पानी की टंकी निकलकर मेहगांव की तरफ से एक लाल रंग की गाड़ी तेजी व लापरवाही से गलत दिशा से आई और उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी जिससे उसके दांयी जांघ टूट गयी और अन्य चोटें आईं। राजेशबेटी अ0सा02 का घुटना उतर गया और अन्य लोगों को चोटें आई थीं। दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर क्या था उसे नहीं मालूम और न ही उसने गाड़ी के डाइवर को देखा था मौके पर पुलिस आ गयी जो उन्हें अस्पताल ले गयी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि उसने पुलिस को पूछताछ में कथन प्र0पी-1 में मिनी बस क्रमांक एम0पी0-30-पी.0470 द्वारा टक्कर मारे जाने की बात लिखाई थी और प्रतिपरीक्षण में भी दुर्घटना कारित करने वाले डाइवर को पहचानने में असक्षमता व्यक्त की है।

6. राजेशबेटी अ0सा02 ने भी कथन किया है कि 4 वर्ष पूर्व प्रातः 8 बजे चार पहिया गाड़ी से देवेन्द्र, अनिल अ0सा03, अर्चना, प्रहलाद अ0सा04 और उसका पति शैलेन्द्र अ0सा01 गाड़ी से जा रहे थे तब सामने की तरफ से एक लाल बस तेजी से आई और उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी उसका घुटना उतर गया और दाहिने हाथ और गर्दन में चोटें आईं प्रहलाद अ0सा04 का सिर फट गया। शैलेन्द्र अ0सा01 के दाहिने पैर में चोट आई थी। दुर्घटना कारित करने वाला डाइवर तेजी से भगाकर बाजार की तरफ ले गया। मौके पर पुलिस आ गयी थी जो अस्पताल ले गयी थी। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने भी स्वीकार किया है कि आरोपी चालक

न्यायालय में उपस्थित हो तो वह नहीं पहचान सकती जबकि साक्ष्य के दौरान आरोपी उपस्थित था।

7. अनिल अ0सा03 ने कथन किया है कि 15.08.11 को 8-9 बजे वह, शैलेन्द्र अ0सा01, देवेन्द्र व उसकी पत्नी और प्रहलाद अ0सा04 इण्डिका गाड़ी से जा रहे थे तब मेहगांव की तरफ से एक लाल बस मौ थाने के आगे रोड पर लहराते हुए आई और उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी उसके सीने, पैर व हाथ में चोट आई थी और अन्य लोगों को भी चोटें आई थीं बस कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम और न ही वह उसे पहचान सकता है। बस का नंबर भी उसे याद नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि बस का नंबर एम0पी0-30-पी.0470 द्वारा दुर्घटना कारित करने के तथ्य उसने कथन प्र0पी-2 में लिखाये थे।
8. साक्षी प्रहलाद अ0सा04 ने कथन किया है कि पांच वर्ष पूर्व प्रातः 8:30 बजे वह शैलेन्द्र अ0सा01, देवेन्द्र व उसकी पत्नी के साथ इण्डिका गाड़ी से जा रहा था तब थाने के पास एक लाल रंग की मिनी बस ने उनकी कार में टक्कर मार दी थी जिससे उसके सिर, सीने व पैर में चोट आई थी व अन्य शरीर में भी चोट आई थी। बस का नंबर उसे नहीं मालूम। बस कौन चला रहा था उसे यह भी नहीं मालूम। वह आरोपी रामनिवास को नहीं जानता। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि बस का नंबर एम0पी0-30-पी.0470 द्वारा दुर्घटना कारित करने के तथ्य उसने कथन प्र0पी-3 में लिखाये थे।
9. अतः प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त आहतगण द्वारा दुर्घटना के समय बस क्रमांक एम0पी0-30-पी.0470 द्वारा दुर्घटना कारित करने का कथन नहीं किया गया है और न ही यह कथन किया गया है कि घटना के समय रामनिवास गाड़ी को चला रहा था अथवा जो भी गाड़ी को चला रहा था उसे वह पहचान सकते हैं। आहत देवेन्द्र का पता ज्ञात न होने से अभियोजन उसे साक्ष्य में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है और आदेश दिनांक 06.09.16 के अनुसार उसे अदम पता अंकित किया गया है। उक्त आहत साक्षीगण के अलावा अभियोजन मामले में अन्य कोई प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है और प्रत्यक्ष साक्ष्य पर ही अभियोजन का मामला निर्भर है किसी भी प्रत्यक्ष आहत साक्षीगण द्वारा दुर्घटना वाहन क्रमांक एम0पी0-30-पी.0470 के द्वारा कारित किए जाने का कथन नहीं किया गया है अतः परिस्थितिजन्य तथ्यों से भी कोई विनिश्चय नहीं निकाला जा सकता है। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 15.08.11 को 08:45 बजे विश्रामगृह मौ के पास मौ-मेहगांव आम रोड पर थाना मौ जिला भिण्ड पर मिनी बस 709 क्रमांक एम0पी0-30-पी.0470 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा देवेन्द्र, अनिल अ0सा03, प्रहलाद अ0सा04 को उक्त वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण परिचालन कर उपहति कारित की तथा शैलेन्द्र अ0सा01 व राजेशबेटी अ0सा02 को उक्त वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण परिचालन कर घोर उपहति कारित की।
10. परिणामतः आरोपी को धारा 279, 337, 338 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
11. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्त वाहन बस क्रमांक एम0पी0-30-पी.0470 पूर्व से आवेदक सुरेन्द्रसिंह की सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित समझा जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0